लापरवाही | गंजीपुरा शिवमंदिर के पास भक्तजनों, रहवासियों में भड़का आक्रोश, पार्षद के खिलाफ विरोध तेज

सावन सोमवार में मंदिर के पास खोद दी नाली

नवभारत,जबलपुर। गंजीपुरा स्थित बड़े शंकरजी महादेव मंदिर के पास स्थानीय व्यापारियों और रहवासियों का आक्रोश सोमवार सुबह उस वक्त भड़क उठा जब सावन माह के पहले सोमवार के दिन सुबह-सुबह नगर निगम का अमला नाली की खुदाई व सफाई करने के लिए सब्बल, फावड़ा लेकर पहुंच गया। कुछ देर तो लोगों ने विरोध किया कि सावन के पहले सोमवार को नाली की सफाई नहीं होगी क्योंकि अगर सफाई होती है तो उसमें से निकलने वाली गंदगी मंदिर के पास फैलेगी। लेकिन जब अमले ने लोगों से कहा कि आप लोग विधायक जी से बात कर लीजिए, हम तो विधायक अभिलाष पांडे व क्षेत्रीय पार्षद रजनी साहू के निर्देश पर नाली की सफाई करने आएं हैं। इसके बाद मामला थोड़ा फीका हुआ और अंततः सफाई अमले ने मंदिर के पास की नालियों की सफाई की और फिर हुआ वहीं जिसका सभी को डर था.. नाली से निकलने वाली गंदगी बाहर आई और दूसरी तरफ मंदिर में भगवान को जल अर्पित करने व पूजा करने जाने वालों का तांता लगा रहा। आलम ये था कि गंदगी लांघकर भक्तजन मंदिर के भीतर जाते नजर आए। प्रत्यक्षदर्शियों ने नवभारत को बताया कि नालियों के ऊपर चीप ढंकी थी लेकिन मौके पर पहुंचे नगर निगम के स्वास्थ्य अमले ने चीप हटाई और फिर नाली को खोदकर सफाई शुरू की।

विधायक-पार्षद को जमकर कोसा

इस दौरान लोगों ने विधायक व क्षेत्रीय पार्षद को भी जमकर कोसा और सफाई अमले से पूछा कि नालियों की सफाई की शिकायत किए हुए करीब डेढ महीना हो रहा है अभी तक आप लोग क्या सो रहे थे। वहीं लोगों में आक्रोश के साथ चर्चाएं थी कि विधायक चाहते तो पहले भी सफाई करवा सकते थे लेकिन सावन के पहले सोमवार में ये काम करवाना कहां तक उचित है। जानकारी के अनुसार गंजीपुरा स्थित बड़े शंकरजी महादेव मंदिर में श्रावण मास के सोमवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ते हैं। मंदिर के पुजारी सहित श्रद्धालुओं ने विधायक-पार्षद से नाली का काम सावन के पूर्व कर देने की बात कही थी। लेकिन उन्होंने ठीक पहले सोमवार को सुबह वहां गंदगी मचवा दी।

दतिया में कांग्रेस की जीत, खुशी में फोड़े पटाखे

- भाजपा के शीर्ष नेताओं का घमंड चूर : तरूण भनोट
- पूर्व मंत्री ने जनआशीर्वाद लेकर सरकार बनाने का किया दावा

नवभारत,जबलपुर। दतिया उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह की ऐतिहासिक एवं शानदार विजय के उपलक्ष्य में जबलपुर कांग्रेस में खासा उत्साह देखने को मिला। इस दौरान बड़ी संख्या में राजीव गांधी चौक (ज्योति टॉकीज) में एकत्रित हुए कांग्रेसियों ने जमकर पटाखे फोड़े और मिठाईयां बांटकर विजय उत्सव मनाया। इस मौके पर नगर कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा, पूर्व विधायक संजय यादव सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसियों की उपस्थिति रही।

इस दौरान पूर्व मंत्री व पूर्व विधायक तरूण भनोट ने कहा कि दतिया उपचुनाव परिणाम में भाजपा के शीर्ष नेताओं का घमंड चूर हुआ है। हम जनआशीर्वाद लेकर मध्यप्रदेश और भारत में सरकार को बदलेंगे और ऐसी सरकार बनाएंगे जो कि पूरी ईमानदारी व निष्ठा के साथ काम करेगी। दतिया उपचुनाव में भाजपा की हार को तरूण भनोट ने सबक बताया है और कहा कि दतिया में आम जनता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जीत हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों, मजदूरों और नौजवानों का नया दौर आ रहा है। वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता आमजनता के लिए संघर्ष करेगा।

पिछले वर्ष की तुलना में 607 मिलियन क्यूबिक मीटर की कमी

बरगी बांध में जल भंडारण पिछड़ा

नवभारत,जबलपुर। बरगी बांध में इस वर्ष जल भंडारण पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम बना हुआ है। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (एनवीडीए) के अनुसार सोमवार शाम 4 बजे बांध का जलस्तर 415.60 मीटर दर्ज किया गया, जबकि पिछले वर्ष 3जुलाई को यह 418.55 मीटर रिकार्ड किया गया था। वर्तमान में बांध में 1464 मिलियन क्यूबिक मीटर (दस लाख घन मीटर) पानी संग्रहित है, जो कुल लाइव क्षमता का 46.04 प्रतिशत है। वहीं, पिछले वर्ष 3जुलाई को बांध में 2071 मिलियन क्यूबिक मीटर (दस लाख घन मीटर) यानी 65.12 प्रतिशत जल भंडारण था। बाँध कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार इस वर्ष बांध में पिछले साल की तुलना में 607 मिलियन क्यूबिक मीटर (दस लाख घन मीटर) कम पानी उपलब्ध है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार बांध में औसतन 251 क्यूमेक पानी की आवक दर्ज की गई। बरगी बांध के सभी गेट फिलहाल बंद हैं। हालांकि बिजली उत्पादन एवं सिंचाई आवश्यकताओं के लिए राइट बैंक पावर हाउस (दाहिने तट स्थित विद्युत गृह) से 201 क्यूमेक, कैनाल हेड पावर हाउस से 28 क्यूमेक, राइट बैंक मेन कैनाल से 20 क्यूमेक तथा लेफ्ट बैंक मेन कैनाल से 2 क्यूमेक पानी छोड़ा जा रहा है। पिछले 24 घंटों में जलग्रहण क्षेत्र में औसतन 0.03 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

प्रमोशन में आरक्षण फिर टला, सुको में लंबित मामले के फैसले पर टिकी निगाहें

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट में प्रमोशन में आरक्षण मामले की सुनवाई फिर टल गई, दरअसल सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में लंबित एक अहम याचिका का मुद्दा सामने आया, जिसके बाद न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त तक के लिये मुल्तवी कर दी। जस्टिस विवेक अग्रवाल की अध्यक्षता वाली युगलपीठ ने पक्षकारों की सहमति पर उक्त निर्देश दिये।

गौरतलब है कि भोपाल निवासी स्वाति तिवारी सहित अन्य की ओर से प्रमोशन में आरक्षण के संबंध में याचिका दायर की गयी थी। याचिका की सुनवाई के दौरान युगलपीठ को बताया गया कि पूर्व में महाधिवक्ता ने मौखिक रूप से आश्वासन दिया कि सरकार के द्वारा नये नियम के अनुसार पदोन्नति नही दी जायेगी। प्रदेश सरकार के द्वारा कर्मचारियों की प्रमोशन सूची जारी की गयी है। मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की लंबित याचिका का मुद्दा सामने आने से पहले सामान्य वर्ग की ओर से विस्तार से बहस हुई।

कोर्ट को बताया गया कि कई विभागों में आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व पहले से पूरा है। इसके बाद भी प्रमोशन में आरक्षण दिया जा रहा है। इस पर आपत्ति दर्ज कराई गई।

सामान्य वर्ग की ओर से यह दलील भी दी गई कि मेरिट के आधार पर चयनित आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को प्रमोशन के समय दोबारा पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल किया जा रहा है। उनका कहना था कि इससे प्रमोशन प्रक्रिया का संतुलन प्रभावित हो रहा है। इस मुद्दे को भी पक्षकारों ने कोर्ट के समक्ष रखा।

जल्द सुनवाई के लिये सुको में किया जायेगा आवेदन

कोर्ट ने कहा कि विरोधाभासी फैसलों से बचना जरुरी है। इसलिए राज्य सरकार और याचिकाकर्ता मिलकर सुप्रीम कोर्ट में संयुक्त आवेदन लगाएंगे। इसमें मामले की जल्द सुनवाई की मांग की जाएगी।

हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सभी पक्षों को आगे की कानूनी दिशा स्पष्ट हो सकेगी। न्यायालय ने कहा कि पक्षकारों को कोर्ट को बताना होगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में लगाए जाने वाले आवेदनों में क्या प्रगति हुई है। इसके बाद मेरिट पर सुनवाई की अगली तारीख तय की जाएगी।

जस्टिस ने खुद किया खुलासा, पक्षकारों ने कहा-उन्हें कोई आपत्ति नहीं

मामले की सुनवाई दौरान जस्टिस विवेक अग्रवाल ने खुद ही बताया कि वह सीपी माथुर प्रकरण में कैट, हाईकोर्ट व सुको में बतौर एडवोकेट पैरवी कर चुके है। जिस पर राज्य सरकार व याचिकाकर्ताओं ने भी अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, उन्होंने न्याय पीठ पर भरोसा व्यक्त किया।

पटवारियों ने शुरू की अनिश्चितकालीन 'कलम बंद हड़ताल'

- कैडर रिव्यू, पदोन्नति सहित अन्य मांगों को लेकर उठा रहे हैं आवाज
- शासन पर लगाए गंभीर आरोप

नवभारत,जबलपुर। पटवारियों ने शासन के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का मन बनाते हुए सोमवार से अनिश्चितकालीन कलम बंद हड़ताल शुरू की तो जिला प्रशासन के अफसरों का महकमा सकते में आ गया। जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश पटवारी संघ, वर्ग के बैनर तले पटवारियों ने ये फैसला लिया है।

हमारी मांग हमारा अधिकार - कैडर रिव्यू लागू करे सरकार के नारे के साथ प्रदेशभर के पटवारियों ने सोमवार से कलम बंद हड़ताल शुरू की। जिसके कारण शहर में कामकाज ठप्प रहा। सुबह पटवरियों ने अपनी-अपनी तहसीलों में रिकार्ड जमा कर दिया। इसके बाद सभी जबलपुर तहसील कार्यालय में एकत्रित होकर अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की।

शासन ने अपनाया भेदभावपूर्ण रवैया

पटवारियों का आरोप है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा कई वर्षों बाद अन्य सभी विभागों के कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई, लेकिन पटवारी वर्ग को इससे पूरी तरह वंचित रखा गया है। भू-प्रबंधन एवं संसाधन विभाग के ही अन्य कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया, जिससे पटवारियों में शासन के इस सौतेले और भेदभावपूर्ण व्यवहार के प्रति भारी आक्रोश है। जानकारी के अनुसार सोमवार से ही जिले के सभी पटवारी शासकीय व्हाट्सएप/ऑनलाइन ग्रुपों से हटकर ऑनलाइन और ऑफलाइन कार्यों से विरत रहे। कल 4 अगस्त से पटवारी जिला मुख्यालय स्थित धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए बैठेंगे।

कुछ इस प्रकार हैं मांगें

आंदोलन कर रहे पटवारियों की मुख्य मांगे कैडर रिव्यू लागू कर पदोन्नति देना, समयमान वेतनमान का लाभप्रदान करना, नायब तहसीलदार की विभागीय परीक्षा का आयोजन कराना, पटवारी वर्ग को 'जज प्रोटेक्शन एक्ट' में शामिल करना, लंबे समय से लंबित वित्तीय भुगतानों का तुरंत निराकरण आदि हैं।

मौत के समय पर संदेह तो कैसे दर्ज करवाई एफआईआर

- हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा हाईकोर्ट ने की निरस्त

जबलपुर। हत्या के आरोप में जिला न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल तथा जस्टिस ए के सिंह युगलपीठ ने अपील की सुनवाई के दौरान मृतक की मौत के समय तथा एफआईआर में गंभीर विसंगतियां पाते हुए ट्रायल कोर्ट के आदेष को निरस्त करते हुए अपीलकर्ताओं को दोषमुक्त कर दिया।

अपीलकर्ता तुलसी राम राजपाल तथा हर प्रसाद की तरफ से दायर अपील में कहा गया था कि उन पर आरोप है कि उन्होंने घर में घुसकर प्यारेलाल गडरिया की चाकू से हमला कर हत्या कर दी थी। घटना के समय बिजली की आपूर्ति बंद थी और रोशनी का कोई स्रोत उपलब्ध नहीं था। मनगढ़ंत चश्मदीद गवाह के वयान घटना के 15 से 30 दिनो बाद दर्ज किये गये। मृतक के परिजनों के द्वारा उन्हें झूठा फंसाया गया है। युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि दोनो पक्षो के द्वारा प्रस्तुत की दलील की सुनवाई करते हुए गंभीर विसंगतियां सामने आई हैं।

जांच अधिकारी ने एफआईआर खुद नही लिखी थी और सिर्फ उसमें उनके हस्ताक्षर थे। ट्रायल कोर्ट के समक्ष वह यह नही बता की किस आरक्षक के एफआईआर दर्ज की थी। रिपोर्ट लिखने वाले व्यक्ति का बयान ट्रायल कोर्ट के सामने दर्ज किया जाने चाहिये थे। एफआईआर दर्ज करवाते समय प्यारेलाल ज़िंदा थे या नहीं इस पर भी संदेह है। उनके बेटे ने अपने वयान में कहा है कि पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने के बाद उनके पिता की मौत हुई थी। उनकी माँ का कहना है कि अस्पताल पहुँचने तक प्यारेलाल ज़िंदा थे। एफआईआर दर्ज करवाने समय प्यारेलाल ज़िंदा थे और पुलिस ने उनकी मेडिकल जांच के लिए कोई अनुरोध दाखिल नहीं किया। यह एक ज़रूरी दस्तावेज़ है जिसके आधार पर मृतक की मेडिकल जांच की जानी थी। डॉक्टर ने अपने वयान में कहा है कि वह प्यारेलाल को उपचार के लिए अस्पताल लाया गया तो उनकी मौत हो गयी थी। उन्होने इस संबंध में पुलिस को सूचित किया था।

चार्ज-शीट के साथ उस मेडिकल जांच के अनुरोध संबंधित दस्तावेज़ पेष नही करने से बचाव पक्ष की इस दलील को और बल मिलता है कि प्यारेलाल ने एफआईआर दर्ज नहीं कराई थी। पुलिस स्टेषन पहुँचने से पहले उनकी मौत हो गयी थी।

27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर सरकार की नीति पर सवाल

जबलपुर। मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण से जुड़े मामले में सोमवार को हाईकोर्ट में 13 वें दिन सुनवाई हुई। प्रशासनिक न्यायाधीश आनंद पाठक व न्यायाधीश विनय सराफ की विशेष युगलपीठ के समक्ष ओबीसी पक्ष ने सरकार की ओर से आरक्षण लागू करने के आधार और ओबीसी की पहचान तय करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाये गये। वरिष्ठ अधिवक्ता शशांक रत्नू और पी विल्सन की बहस पूरी होने के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने पक्ष रखा। उनकी बहस पूरी नहीं हो सकी। अब आज मंगलवार को दोपहर 2.30 बजे फिर सुनवाई होगी।

जारी किया जाए यूनिक एम्पलॉयी कोड, समयमान वेतनमान दो

- प्रदेश के स्वशासी कर्मचारियों ने उठाई आवाज

नवभारत,जबलपुर। प्रदेशभर के स्वशासी कर्मचारियों ने यूनिक एम्पलॉयी कोड सहित विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग की है। माँगें जल्द पूरी नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा संघ के नेतृत्व में प्रदेशभर के स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर सोमवार को नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज, जबलपुर के माध्यम से प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र तिवारी सहित अजय दुबे, सुनील इशरानी, मंजू पटेल, रमेश उपाध्याय, साहिल सिद्दीकी, घनश्याम पटेल, संताराम सरावी, गोपाल नेमा सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे। संघ ने ज्ञापन में प्रमुख रूप से प्रदेश के सभी स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को शीघ्र यूनिक एम्पलॉयी कोड जारी करने की मांग की है, जिससे सेवा पुस्तिका, वेतन, अवकाश, पदोन्नति, स्थानांतरण, पेंशन एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित हो सके। साथ ही संघ ने शासन द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप 5 वर्ष एवं 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके कर्मचारियों को समयमान वेतनमान एवं अन्य देय लाभ प्रदान करने, मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपरांत ग्रेच्युटी का लाभ देने, आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत कार्यरत नोडल अधिकारियों एवं सुपरवाइजरों के रोटेशन संबंधी आदेशों का पालन करने तथा पात्र कर्मचारियों को लंबित प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने की भी मांग की है।

कुछ इस तरह चलेगा आंदोलन

संघ ने स्पष्ट किया कि यदि कर्मचारियों की समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। प्रस्तावित आंदोलन के अंतर्गत 12 अगस्त को दो घंटे का सांकेतिक धरना-प्रदर्शन, 14 अगस्त को अधिष्ठाता कार्यालय का घेराव, 18, 19 एवं 20 अगस्त 2026 को मुख्य द्वार पर दो-दो कर्मचारियों द्वारा सांकेतिक हड़ताल और 7 सितंबर से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन किया जाएगा।

मांग | मेडिकल यूनिवर्सिटी के 250 करोड़ फण्ड के बंटवारे पर रोक भी लगाई जाए

मेडिकल यूनिवर्सिटी विभाजन : उज्जैन और जबलपुर को मिले बराबर हिस्सा

- मुख्यमंत्री को भेजा गया निवेदन पत्र
- जनसंगठनों ने बुलंद की मांग

नवभारत,जबलपुर। मध्यप्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी के विभाजन में उज्जैन के बराबर का जबलपुर का भी हिस्सा बनाया जाए जिससे जबलपुर एम यू आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो सके। साथ ही वर्तमान एम यू के 250 करोड़ के रिजर्व फण्ड के बँटवारे पर रोक लगे। इन ठोस निर्णय से ही 1 अगस्त को मुख्यमंत्री द्वारा जबलपुर एम यू को एम्स जैसे करने के कथन पर अमल किया जा सकेगा। ये बातें सोमवार को जनसंगठनों के द्वारा आयोजित बैठक में दौरान हुईं।

डॉ. पी.जी. नाजपांडे ने बताया कि 20 जुलाई को विधानसभा सचिवालय द्वारा राजपत्र में प्रकाशित विधेयक से स्पष्ट हो गया है कि उज्जैन में 6 संभाग के 70 कॉलेज तथा 60 हजार छात्र होंगे, लेकिन जबलपुर में 4 संभाग के 15 कॉलेज तथा 12 हजार छात्र होंगे। इस कारण कुल 110 करोड़ के बजट में जबलपुर का मात्र 10 करोड़ का हिस्सा होगा। ऊपर से अब 250 करोड़ के रिजर्व फंड के बंटवारे का भी प्रस्ताव बन चुका है, जिसमें लगभग 200 करोड़ उज्जैन को तथा 50 करोड़ जबलपुर को मिलेंगे।

सीएम से की मांग

वहीं छात्रों, बजट तथा रिजर्व फण्ड की कमी के कारण आगामी वर्षों में जबलपुर एम यू का अस्तित्व खतरे में पड़ेगा। ऐसे में मुख्यमंत्री का कथन केवल कागजों तक सीमित रहेगा। जानकारी के अनुसार इन मुद्दों पर जनसंगठनों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को निवेदन पत्र भी भेजा है और एमयू के अस्तित्व को बचाने की मांग की है। बैठक में रजत मार्गव, डॉ. ए. बी. श्रीवास्तव, सुमाष चन्द्रा, टी.के. रायघटक, एड. वेदप्रकाश अघौलिया, संतोष श्रीवास्तव, डी.के. सिंह, एड. घनश्याम सोनकर, यशवंत कोष्टा, डी. आर. लखेरा, अशोक यादव, श्याम सोलंकी, एड. बृजेश साहू तथा राममिलन शर्मा उपस्थित थे।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से प्रकाशित एवं नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharatjabalpur@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/57